(b) to (d) There is no proposal under consideration to put a ban on the manufacture and sale of tobacco for chewing purposes in the country. However, during the 8th Five Year Plan more emphasis is being given on prevention and early detection of cancer including oral cancer. Under the National Cancer Control Programme various health education measures are being taken to educate the people to create awareness amongest them about the likely couses of cancer. The ill effects of Tabocco chewing and smoking are suitable highlighted.

Grievances of Employees of I.C.M.R.

205. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the grievances raised by the employees of ICMR as reported in the Indian Express of 10th April, 1992; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA) : (a) Yes, Sir.

(b) The Association of the Employees of Indian Council of Medical Research (ICMR) has called off the strike since 23-4-1992 having been informed of the action being taken to redress their grievances.

दिल्ली में मलेरिया होने संबंधी मामले

206. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में दिल्ली में मलेरिया के प्रकोप में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार इसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। तथापि दिल्ली में मलेरिया की रोकथाम करने के लिये निम्नलिखित उपचारी कदम उठाए जा रहे हैं;

1. रोगों का तत्काल निदान और उपचार।
2. रसायनों और जैव-पर्यावरणिक पद्धतियों के माध्यम से मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिये प्रति सप्ताह लार्वा-रोधी कार्यकलाप।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव।

Research Facilities in AIIMS

207. SHRI P. UPENDRA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Institute of Medical Sciences in Delhi and other places have been set up as referral hospitals;

(b) whether it is a fact that these Institutions have virtually been converted into general hospitals; and

(c) if so, what steps Government are taking to upgrade the medical facilities in the Institutes, to provide more research facilities and restore the original character of the Institutes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI (D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) to (c) The All India Institute of Medical Sciences has set up to develop patterns of undergraduate and postgraduate medical education and to bring together in one place educational facilities of highest order for the training of all types of health personnel and to attain self-sufficiency in postgraduate medical education. A hospital catering to common diseases as well as having specialities and super-specialities is essential for achieving above objectives. However, on account of the increasing pressure of patients for all kind of ailments, it is being felt that the specialist facilities of AIIMS are not being put to optimum use. In order to give AIIMS the character of a referral hospital and to provide specialised care for complex cases, the Government have decided to set up a screening OPD so that only screened cases go to the specialists/faculty of AIIMS. Besides upgrading the medical facilities in the Institute, the screening OPD would provide more time to the faculty and others for teaching and research activities.

परिवार कल्याण के क्षेत्र में अध्ययन

208. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार कल्याण क्षेत्र में सांख्यकीय और सामाजिक शोध संबंधी अध्ययन कराने के लिये वर्ष 1990–91 तथा 1991–92 के दौरान स्वैच्छिक अभिकरणों को बहुत बड़ी राशि दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रकार के अध्ययन करवाने का कार्य स्वैच्छिक अभिकरणों को सौंपने के लिये निर्धारित मार्ग-निर्देशों और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और उन्हें देयराशि के भुगतान का निर्धारण किस पद्धति से किया जाता है; और

(घ) प्रत्येक अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की मुख्य बातें क्या-क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) 1990-91 और 1991-92 के वर्षों के दौरान लगभग 19.66 लाख रुपये की लागत वाले 2 तदर्थ अध्ययन परिवार कल्याण के क्षेत्र में अनुमोदित/शुरू किये गये। इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण देश में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिये यू० एस० एड सहायता-प्राप्त परियोजना के एक भाग के रूप में मंजूर किया गया है। इस समस्त परियोजना की परिशोधित लागत 33 लाख अमरीकी डालर है। इस सर्वेक्षण में अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई और जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के अतिरिक्त चुनिंदा परामर्शी संगठन भी शामिल हैं। ये अध्ययन कार्य विशिष्ट समिति (समितियों) जो इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की गई हो (हों), की सिफारिश के आधार पर अध्ययन, आधारभूत ढांचे और संगठनात्मक योग्यता के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव के आधार पर अभिकरण/संगठनों को सौंपा जाता है। इन अभिकरणों को देय धनराशि भिन्न-भिन्न अध्ययनों के लिये भिन्न होती है, जो सेम्पल के आकार, प्रश्नावली के डिजाइन, सर्वेक्षण पद्धति, प्रत्यर्थियों के प्रकार, कवर किये जाने वाले क्षेत्र और अन्य संबंधित मापदंडों पर निर्भर करती है। अध्ययन का विस्तृत ब्यौरा और प्रमुख निष्कर्ष विवरण में दिये गये हैं।